भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 138**
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

**झारखंड को जीएसटी और उपकर का भुगतान**

**138.श्री राजेश रंजनः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या झारखंड राज्य को जीएसटी और अन्य उपकर के हिस्से के रूप में एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) झारखंड को जीएसटी और उपकर का भुगतान किस तिथि तक जारी किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री पंकज चौधरी)**

(क): झारखंड राज्य को जीएसटी और अन्य उपकर में राज्य के हिस्से के संबंध में कोई बकाया राशि देय नहीं है। केंद्र सरकार ने संविधान के अधिदेश के अनुसार झारखंड राज्य को कोविड-19 महामारी के दौरान जारी किए गए बैक टू बैक ऋण सहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि यानी लगभग 13,749 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दी है।

(ख) और (ग): उपरोक्त उत्तर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****